

कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्रांक ~~सी-43~~ / कृषि निवेश / बी-250(टी सी) दिनांक :: लखनऊ :: 13 अक्टूबर 2017  
सिक्तम्बर

1-समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक,  
सहकारिता, उ०प्र० ।

2-समस्त सचिव / महाप्रबन्धक,  
जिला सहकारी बैंक लि० ।


3-समस्त जिला प्रबन्धक  
पी.सी.एफ. उ०प्र० ।

विषय-दिनांक 01.07.2017 से इफको यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति व फुटकर बिक्री दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या सी-23/कृषि निवेश/बी-250टीसी दिनांक 06.07.2017 का संदर्भ लें जिसके द्वारा दिनांक 01.07.2017 से इफको यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति एवं बिक्री दरें संसूचित की गयी हैं। उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या-03 में त्रुटिवश निम्न उल्लेख किया गया है-

"03-इफको द्वारा समितियों को आपूर्ति एफ0ओ0आर0 आधार पर की जायेगी। इसके लिए परिवहन मद में समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा" उक्त बिन्दु में निम्नवत संशोधन किया जाता है -

" बिन्दु सं० 03 की शर्त केवल फास्फेटिक उर्वरकों के परिवहन पर ही लागू होगी। यूरिया उर्वरक के सम्बन्ध में इस कार्यालय के परिपत्रांक सी-17/बीज उर्वरक /बी-291 दिनांक 28.05.2017 के बिन्दु-04 के अनुसार बफर गोदाम से समितियों तक यूरिया उर्वरक के वास्तविक परिवहन व्यय में प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रदत्त धनराशि को घटाकर अन्तर की धनराशि की प्रतिपूर्ति पीसीएफ एवं अन्य परिवहन संस्थाओं को शासन द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि उर्वरक का परिवहन जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक न हो। "

  
(अजय चौहान)  
आयुक्त एवं निबंधक  
सहकारिता उ०प्र०,  
लखनऊ।

परिपत्रांक : सी-43/कृषि निवेश/बी-250(टी सी) दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि- अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य विपणन प्रबन्धक, इफको, 8, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, पीसीएफ/यू०पी०सी०बी०, उ०प्र० ।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० ।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक, (कम्प्यूटर/वेब मास्टर) सहकारिता, उ०प्र०, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित के ईमेल पर प्रेषण हेतु ।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, पीसीएफ, लखनऊ ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० ।
8. समस्त मंडलायुक्त, उ०प्र० ।
9. प्रमुख सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।

(रामप्रकाश)

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(कृ०नि०)  
सहकारिता, उ०प्र०  
लखनऊ ।